यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

ुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
74/2025	03.7.2025	22.5.2026

नगीना पुत्र अजमेरी, मुसलमान निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी हिण्डौन ऑवरब्रिज के पास, गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, छाहरा (चूली) जरिए प्रधानाध्यापक
2. काडूराम गुर्जर सरपंच निवासी ग्राम छाहरा तह0 गंगापुर सिटी
3. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गंगापुर सिटी
4. जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित :– श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
राजकीय अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र मे प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से सम्बधित एक अन्य दावा बाबत घोषणा खातेदारी,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी नगीना बनाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय वगैरा न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी मे पहले सै ही पेश किया हुआ है। इसके बाबजूद वादी द्वारा तथ्यो को छिपाते हुए यह दावा श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। वादी एक समान दो दावे समानान्तर रूप से दो न्यायालयों मे पेश कर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है जो कि वार्ड वाई ला है। वादी तथ्यों को छिपाते हुए एवं क्लीन हैण्ड से न्यायालय मे नही आया है जो नियम विरूद्ध है तथा वार्ड वाई ला होने के कारण वादी का दावा रिजेक्ट होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वादपत्र रिजेक्ट फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब मे वादी ने अंकित किया है कि सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है एवं वर्तमान दावा घोषणा का है। प्रकरण को डिले करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के समर्थन मे प्रतिवादीगण की ओर से कार्यालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 6.5.25 की प्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहॉ विचाराधीन वाद

खण्ड अधिकारी
गापुर सिटी (राज०)

नगीना बनाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय छाहरा वगैरा, दावा की फोटोप्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध एव प्रस्तुत किये गये अभिलेख का अवलोकन किया। वादी ने भूमि ख0न0 391/2147 मे से 9 एयर भूमि की खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि कार्यालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 6.5.2025 द्वारा भूमि ख0न0 391/2147 रकबा 0.18 है0 ग्राम चूली राजकीय प्राथमिक छाहरा को विघालय भवन एवं खेलमैदान हेतु निशुल्क आवंटित की गई है। इस प्रकार भूमि ख0न0 391/2147 वर्तमान मे कृषि भूमि ही नही रही है। इसके अतिरिक्त इसी खसरा नम्बर के सम्बन्ध मे वादी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी मे भी वाद प्रस्तुत किया हुआ है। इस प्रकार वादी द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत वाद इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता मे नही आता है एवं वादी का वाद विधि से बाधित है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण संख्या 74/2025 में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप की जाती है, इसी आधार पर प्रकरण संख्या 62/2025 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में भी कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22-5-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

नगीना पुत्र अजमेरी, मुसलमान निवासी छाहरा तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी हिण्डौन ऑवरब्रिज के पास, गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, छाहरा (चूली) जरिए प्रधानाध्यापक
2. काडूराम गुर्जर सरपंच निवासी ग्राम छाहरा तह0 गंगापुर सिटी
3. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गंगापुर सिटी
4. जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —74/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई राजकीय अधिवक्ता मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण संख्या 74/2025 में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप की जाती है, इसी आधार पर प्रकरण संख्या 62/2025 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में भी कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/5/26 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (स०मा०)